भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 19

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

19. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

श्री कनकमल कटारा:

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री कृष्णपालसिंह यादव:

श्री उमेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालिका परित्याग के संबंध में टीवी शो और अन्य संचार माध्यमों सहित जनता के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए कोई उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलट प्रतिनिधित्व, एसटीईएम शिक्षा और वित्तीय समावेशन में भारत की उपलब्धियों ने लैंगिक समानता में वैश्विक नेता के रूप में इसकी पहचान में योगदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो उन विशिष्ट पहलों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भारत के सकारात्मक प्रक्षेप पथ को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किन राज्यों ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): देश में सीएसआर में गिरावट के साथ-साथ जीवन चक्र निरंतरता के आधार पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के

लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम 22 जनवरी, 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के त्रि-मंत्रालयी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी।

यह स्कीम 15वें वित्त आयोग की कार्य अवधि में मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के एक घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। शून्य-बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली कार्यकलापों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए इस स्कीम का विस्तार किया गया है। लड़कियों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी भागीदार मंत्रालय के रूप में जोड़ा गया है।

सरकार जन्म के समय लिंग चयन को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और बालिकाओं की शिक्षा, वृद्धि, विकास और अधिकारों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु सभी स्तरों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लगातार प्रयास कर रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सीआरपीएफ के साथ सहयोग से यशस्विनी नामक एक महिलाओं के लिए एक बाइक अभियान चलाया था। इसमें तीन टीमें थीं जिनमें प्रत्येक में 25 रॉयल एनफील्ड (350 सीसी) मोटरबाइक और 50 बाइकर्स शामिल थीं। इन टीमों ने क्रमशः श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर 10,000 किमी से अधिक की दूरी तय कर के 31 अक्टूबर, 2023 को एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समापन समारोह में भाग लिया। महिला बाइकर्स ने पूरे देश में इस मुद्दे का समर्थन करते हुए अपनी वर्दी और बैनर पर बीबीबीपी लोगो प्रदर्शित किया। अभियान के दौरान देश भर में बीबीबीपी के तहत 22 कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डोरी नामक शो के लिए कलर्स टीवी के साथ सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं का परित्याग करने की प्रचलित सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार ने विभिन्न पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में भारत के सकारात्मक प्रक्षेप पथ को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति के घटकों को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह जीवन चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं की जरूरतों का ख्याल रखता है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं - 'संबल' और 'सामर्थ्य'। जबकि "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं "सामर्थ्य" उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के

लिए है। 'संबल' उप-योजना के घटकों में पूर्ववर्ती वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), समाज और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए महिला समूहों- नारी अदालतों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीमें शामिल हैं।

नागरिक उड्यन मंत्रालय की पहलों के कारण भारत में महिला पायलटों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में,जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की कुल संख्या 1622 है, जिनमें से 294 सीपीएलएस महिलाओं को जारी किए गए। यह जारी किए गए कुल सीपीएल का 18 प्रतिशत है। वर्ष 2022 (240 सीपीएल) की तुलना में वर्ष 2023 (294 सीपीएल) में महिलाओं को जारी सीपीएल की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में, विभिन्न भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों के साथ कार्यरत महिला पायलटों की कुल संख्या कुल उड़ान चालक दल की संख्या का करीब 14 प्रतिशत है।

शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और इस प्रकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल करती हैं। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए महिला छात्रों को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने महिलाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति और टेकसक्षम कार्यक्रम (टीएसपी) शुरू किया है। प्रगति छात्रवृत्ति वर्ष 2014 में मेधावी छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा में प्रवेश करने वाली लड़कियों को हर साल 10000 छात्रवृत्ति (प्रगति) प्रदान कर रहा है। टेकसक्षम कार्यक्रम एक टॉप-अप कार्यक्रम है जो उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली वंचित महिला छात्रों के बीच नियोजनीयता कौशल विकसित करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा का उपयोग करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में स्नातक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार के उद्देश्य से अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं है जिससे महिला नामांकन 2018-19 में 8% से बढ़कर 2020 -21 में 20% हो गया।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुन: अभिविन्यास कार्यक्रम (बायो केयर) नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों को डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान परियोजना -अनुदान उपलब्ध कराने में सहायता करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण)' नामक अपनी व्यापक स्कीम के माध्यम से एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बना रहा है। वाइज-किरण स्कीम के तहत

विज्ञानज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य कम महिला प्रतिनिधित्व वाले स्टेम के क्षेत्रों में मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा और कॅरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 2020 से देश के 250 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है और इससे कक्षा IX-XII की लगभग 50000 लड़कियों को लाभ हुआ है। विभिन्न एसटीईएम-संबंधित गतिविधियों के अलावा कॅरियर परिप्रेक्ष्य के रूप में लड़कियों के लिए एसटीईएम शिक्षा के महत्व और लाभ के बारे में माता-पिता को संवेदीकृत करने के लिए माता-पिता-छात्र परामर्श विज्ञानज्योति कार्यक्रम का हिस्सा है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है। एक अन्य कार्यक्रम, 'जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई)' भी लैंगिक समानता के लिए एसटीईएम शिक्षा और कॅरियर में अधिक जेंडर-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इनके साथ अन्य उपायों के कारण एसटीईएम पाठ्यक्रमों में महिला छात्रों के नामांकन में लगातार सुधार हुआ है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 2014-15 में 35.14 लाख से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 41.93 लाख हो गई है। यह 19.3% की उल्लेखनीय वृद्धि है।

सरकार ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और एक अवधि, जब तक उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो जाती और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तथा वे घोर गरीबी से बाहर नहीं आ जाते तब तक उनका निरंतर पोषण और समर्थन करने के उद्देश्य से मिशन मोड में देश भर में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) क्रियान्वित कर रही है। मिशन का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है। इसे दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एसएचजी और उनके परिसंघों को परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। इससे उन्हें एक कोष बनाने में मदद मिलती है, जिससे एसएचजी सदस्य आजीविका को बढ़ावा देने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसएचजी को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा भी दी जा रही है।

इसके साथ ही मिशन ने बीसी सखी मॉडल शुरू किया है जिसमें एसएचजी सदस्यों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट (बीसीए) के रूप में प्रशिक्षित, प्रमाणित और तैनात किया जाता है।

बीसी सखी जमा, ऋण, विप्रेषित धन, पेंशन और छात्रवृत्ति के वितरण, मनरेगा मजदूरी का भुगतान और बीमा और पेंशन स्कीमों के तहत नामांकन सहित वित्तीय सेवाओं की अंतिम लाभार्थी तक प्रदायगी करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) भी क्रियान्वित कर रहा है, जो डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक उप-योजना है। इसका उद्देश्य एसएचजी परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। मिशन के तहत कृषि पारिस्थितिक प्रथाओं (एईपी) को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों को भी समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा, एसएचजी उत्पादों पर बेहतर आय के लिए एसएचजी/एसएचजी सदस्यों को मूल्य श्रृंखला कार्यकलापों के माध्यम से भी समर्थन दिया जा रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और अपने स्वयं के विकास की जिम्मेदारी लेने और निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है -

विभिन्न विकास पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, मौजूदा सरकारी योजनाएं, लैंगिक मुद्दे, नागरिक अधिकार और अधिकारिता और अभियोजना, निर्णय लेने, समस्या समाधान और टकराव के समाधान कौशल में महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करने पर एसएचजी सदस्यों के बीच जागरूकता सृजन।

मिशन ने महिलाओं की राय को प्रतिध्वनित करने के लिए ग्राम संगठन, लिंग मंच, ग्राम समन्वय समितियाँ इत्यादि जैसे विभिन्न संस्थागत तंत्र भी विकसित किए हैं और विभिन्न संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ अभिसरण विकसित करने में एसएचजी संघों को सहायता और पोषण प्रदान करना।

सरकार ने अपने वित्तीय समावेशन कार्यकलापों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा और ऋण योजनाएं भी शामिल हैं:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को 28.8.2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवर सहित बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

पीएमजेडीवाई के तहत प्रगति (17.01.2024 तक):

- पीएमजेडीवाई खाते: 51.55 करोड़

- खातों में जमा: 2,17,620 करोड़ रुपये
- महिलाओं के खाते: 28.60 करोड़ (55.5%)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक साल की अवधि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है जो इस योजना में शामिल होने और ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

पीएमएसबीवाई के तहत प्रगति (17.01.2024 तक):

- संचयी नामांकन: 42.45 करोड़ (लगभग 50% महिलाओं का नामांकन)

प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) यह एक साल की अवधि की जीवन बीमा योजना है, जो साल-दर-साल नवीकरणीय होती है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की राशि मिलती।

पीएमजेजेबीवाई के तहत प्रगति (17.01.2024 तक):

- संचयी नामांकन: 19.18 करोड़ (लगभग 50% महिलाओं का नामांकन)

माननीय प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक संस्थागत बिना किसी गारंटी के (कोलेटरल फ्री) ऋण तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 08.04.2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की।

मुद्रा के तहत प्रगति (योजना के शुभारंभ के बाद से 19.01.2024 तक)

- कुल स्वीकृत खाते: 46.03 करोड़
- महिलाओं के खाते: 31.2 करोड़ (68%)

दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक एससी/एसटी और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये मूल्य के बीच मूल्य का बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। स्टैंड-अप इंडिया के तहत प्रगति (योजना के शुभारंभ के बाद से 25.01.2024 तक)

- स्वीकृत खाते: 2.16 लाख
- महिलाओं के खाते: 1.82 लाख (84%)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत को प्रोत्साहित करने हेतु अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की, जो योगदान और उसकी अवधि के आधार पर एक परिभाषित पेंशन प्रदान करती है। एपीवाई के तहत ग्राहकों को उनके योगदान के अनुसार 1000 प्रति माह, 2000 प्रति माह, 3000 प्रति माह, 4000 प्रति माह, 5000 प्रति माह रुपये की पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर मिलेगी है, जो स्वयं एपीवाई में शामिल होने की आयु पर आधारित होगा। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।

अटल पेंशन योजना के तहत प्रगति (29.01.2024 तक)

- कुल ग्राहक: 6.20 करोड़
- महिला खाते: 2.87 करोड़

सरकार ने देश में महिला स्वामित्व वाले उद्यम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमई को सहायता देने के लिए निम्न जैसे कई कदम उठाए है:

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में 2018 में संशोधन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% खरीदारी महिला उद्यमियों से करने को अधिदेशित किया गया था।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए 01.12.2022 से दो प्रावधान शुरू किए गए हैं। ये हैं:

- वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की रियायत; और

- 85% तक की 10% अतिरिक्त गारंटी कवरेज

- अन्य उद्यमियों के लिए 75%

महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय कॉयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना' क्रियान्वित करता है, जो कॉयर क्षेत्र में लगी महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भी क्रियान्वित करता है। यह एक प्रमुख ऋण सबद्ध रियायत(क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी)कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करना है।

खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में 100% सब्सिडी दी जाती है।

महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करने तथा वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और उप-नगरीय क्षेत्रों से 7,500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की सहायता के लिए"समर्थ" पहल शुरू की गई है। समर्थ के तहत इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटों; मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता योजनाओं के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20%; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट का प्रावधान किया गया है।

(ड.) : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की प्रगति के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) को एक निगरानी मापदंड के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी में 918 (2014-15) से 933 (2022-23) तक 15 अंकों की सुधार प्रवृत्ति देखी गई है। पिछले तीन वर्षों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसआरबी **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संबंध में 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पिछले तीन वर्षों के दौरान जन्म के समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात			
	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	961	963	962
2	आंध्र प्रदेश	952	950	945
3	अरुणाचल प्रदेश	933	946	932
4	असम	944	941	955
5	बिहार	915	898	894
6	चंडीगढ़	941	892	902
7	छत्तीसगढ़	961	960	958
8	दादरा एवं नागर हवेली	883	889	914
9	दमन और दीव			
10	दिल्ली	927	924	915
11	गोवा	949	953	956
12	गुजरात	918	927	928
13	हरियाणा	927	920	918
14	हिमाचल प्रदेश	944	941	932
15	जम्मू एवं कश्मीर	933	940	950
16	झारखंड	935	935	934
17	कर्नाटक	949	940	947
18	केरल	958	968	965
19	लक्षद्वीप	948	939	954
20	मध्य प्रदेश	939	929	932
21	महाराष्ट्र	940	933	932
22	मणिपुर	954	945	949
23	मेघालय	943	947	965
24	मिजोरम	962	994	934
25	नागालैंड	897	924	915
26	ओडिशा	936	938	936
27	पुद्दुचेरी	985	957	947
28	पंजाब	926	928	927
29	राजस्थान	946	946	946
30	सिक्किम	929	981	966
31	तमिलनाडु	948	947	946
32	तेलंगाना	933	938	935
33	त्रिपुरा	944	950	949

34	उत्तर प्रदेश	932	934	932
35	उत्तराखंड	940	939	938
36	पश्चिम बंगाल	949	943	944

*****